



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032022-234578
CG-DL-E-28032022-234578

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 28, 2022/चैत्र 7, 1944

No. 83]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 28, 2022/CHAITRA 7, 1944

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

शुद्धि-पत्र अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2022

मामला सं. एडी(ओआई) 22/2020

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एल्यूमिनियम के कतिपय फ्लेट उत्पादों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/27/2020-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे “अधिनियम” के रूप में कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने “एल्यूमिनियम के कतिपय फ्लेट रोल्ड उत्पादों”, संबद्ध उत्पाद पर शुरू की गई पाटनरोधी जांच के संबंध में दिनांक 07.09.2021 की अन्तिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 6/27/2020 जारी की है।

2. अंतिम जांच परिणामों के पैरा 129 में, शुल्क तालिका में दिए गए कॉलम सं. 6 और पंक्ति सं. 4 में उत्पादक का नाम “ग्रेंस एल्यूमिनियम (शंघाई) लिमिटेड” के स्थान पर “ग्रेंस एल्यूमिनियम (शंघाई) कं., लिमिटेड” समझा जाएगा।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

CORRIGENDUM NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2022

Case No. AD (OI) 22/2020

Subject : Anti-Dumping investigation concerning imports of Certain Flat Products of Aluminium originating in or exported from China PR.

F. No. 6/27/2020-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, thereof, the Designated Authority has issued the Final Findings Notification No. 6/27/2020 dated 07.09.2021 in respect of the anti-dumping investigation undertaken on subject product “**Certain Flat Rolled Products of Aluminium.**”

2. In **paragraph 129** of the final findings, the name of the producer in the duty table given in **column no. 6 and row no. 4** stands substituted from “Granges Aluminium (Shanghai) Ltd.” to “**Granges Aluminium (Shanghai) Co., Ltd.**”.

ANANT SWARUP, Designated Authority